

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-प्रारं/नि.प्र./नियू.2/982/शि.भ.-18/लेवल-ग/2018-19  
जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय),  
समस्त जिले।

दिनांक: 06.03.2019

विषय:- राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विधालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के अन्तर्गत चयन रिशफल/प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षक भर्ती 2018 के अन्तर्गत लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर चयन रिशफल/प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की काउसलिंग कर पदस्थापन के संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2019(प्रति संलग्न) जारी कर काउसलिंग कैलेण्डर व दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं, उक्त भर्ती अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दिये जाने हेतु आप निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:-

1. चयन रिशफल में पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके जिन अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तित हुआ है उन अभ्यर्थियों को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से संबंधित पीईईओ द्वारा तत्काल कार्यमुक्त किया जाये।
2. पीईईओ द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर कार्यमुक्त किये जाने के बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.क्षा (मुख्यालय) द्वारा अन्य जिलों हेतु कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति दी जाये।
3. नये जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्य जिलों से आये अभ्यर्थियों को अपने कार्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाकर रजिस्टर संघारित किया जाये।
4. पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों का यदि जिला यथावत है तो उनके संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5. समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2019 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 से 11 तक के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
6. अभ्यर्थियों को कार्यमुक्त करने/काउसलिंग की मोनेटरिंग हेतु अपने कार्यालय में एक कन्टोल रूम रथापित कर प्रक्रिया को सम्पन्न करावे।

आप नव चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में अपने जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से आज ही सम्पर्क कर निर्धारित कलैण्डर के अनुसार पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)  
राजस्थान बीकानेर।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. उपायुक्त, शाला दर्पण पोर्टल, स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि नव चयनित/जिला परिवर्तित होकर आये अभ्यर्थियों की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण के संबंध में तथा इनकी काउसलिंग कराने हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करावें।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त जिला परिषद।

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)  
राजस्थान बीकानेर